फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम सुगना नाथ वगै

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 64/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/1/21	कारण ... महामारी/अभिभाषक संघ की ... स्थगित रहा/P.O. साहब अन्य ... नैक कार्य जयपुर ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 5/3/21 को पेश हो। (शकूर)
	5/3/21	वकील उत्तरदाता पक्ष उप-1 वास्ते बहस T.I. पत्रावली उपरान्त 18/3/21 को पेश हो उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर
	18/3/21	वकील उत्तरदाता पक्ष उप-1 ने अ.प.T.I. पर वकील प्रार्थी पक्ष को सुनाया। वास्ते आदेश पत्रावली उपरान्त 1-4-21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर
	1-4-21	वकील उत्तरदाता पक्ष उप-1 वकील प्रार्थी ने अपने प्रा.पत्र T.I. के संबंध में निवेदन किया कि आ.ख.नं. 1484/0.85, 1485/0.02, 1486/0.06, 1492/0.14 है कुल किता 4 रकबा [illegible]07 है. वाके ग्राम खोखेखुर्द उर्फ किशनपुरा तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम है। ख.नं. 1484, 1485 साबिक ख.नं. 917 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से बने है। ख.नं. 1486, 1492 साबिक ख.नं. 949, 953 से बने हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम अंकित है। राजस्व कर्मचारियों ने गलती से मदन पुत्र सुगना के नाम मदन सुगना अंकन कर रखा है। आ.ख.नं. 1493/0.22, 1494/0.44, 1495/0.24 कुल किता 3 रकबा 0.90 है. वाके ग्राम खोखेखुर्द उर्फ किशनपुरा तह. शाहपुरा में स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी सं. 2,3 के नाम

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम लूणाराम वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

संख्या 64/2017 प्रा.पत्र TI

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	1-4-21	दर्ज है, आ.ख.न.1493 साबिक ख.न.952 व 1494 1495 साबिक ख.न. 548 से मिलकर बने हैं। उक्त आराजी पर प्रार्थी के पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त रहा है। गैरप्रार्थीगण व अन्य का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। साबिक सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती के कारण उक्त आराजी की खातेदारी गैर प्रार्थी स.1 के पूर्वज गगलो पुत्र राजू के नाम अंकित कर दी गई। प्रार्थी के पूर्वज मेहू पुत्र ओंकार जाति कुम्हार का कब्जा उक्त आराजी पर रहा है। अन्त मे निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थी स.2,3 की ओर से अपने जवाब प्रा.पत्र के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि उक्त आराजी साबिक सेटलमेन्ट के समय गैरप्रार्थी स.1 लूणाराम की खातेदारी की भूमि थी। गैरप्रार्थी स.1 ने अप्रार्थी स.2,3 को उक्त भूमि का बेचान कर दिया। अप्रार्थी स.2,3 उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं और अप्रार्थी स.2 ने अपने कब्जे अधिकार की भूमि को दिनांक 26/12/06 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी स.4,5 का बेचान कर दिया। अप्रार्थी स.3 ने आ.ख.न.1493/0.22 हे. भूमि को गीता देवी को बेचान कर दिया। जिसका विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु वाद चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने दा.पत्र मे [illegible] के मालिकान को पक्षकार नहीं बनाया है। इस कारण भी दा.पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र TI खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी स.4,5 ने निवेदन किया कि बाद रजिस्ट्री से कृषि अप्रार्थी 2,3 से क्रय की है। अप्रार्थी स.4,5 सद्भावी क्रेता हैं। यदि विक्रय पत्र गलत है तो इसके सम्बन्ध मे प्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय मे कोई वाद पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र TI खारिज किया जावे।	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम लूणाराम वगै.

नाम न्यायालय SDO शाहपुरा

केस संख्या 178/2006 पुनः दर्ज 64/2017 प्रा-पत्र T.I

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1-5-21	पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस मनन किया गया। प्रस्तुत वाद घोषणा खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसका निस्तारण दस्तावेज एव साक्ष्यो के आधार पर तय होना है। अतः प्रा-पत्र T.I से जारी अस्थाई आदेश दिनांक 13/12/2006 को स्थायी किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रेकर्ड हो। मूल वाद के शामील रहे। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जयपुर